



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05062026-273167
CG-MH-E-05062026-273167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 372]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 29 मई, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन)(संशोधन) विनियमावली, 2026

सं. फेमा 389(1)/2026-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (सीमापारीय विलयन) विनियम, 2018 (दिनांक 20 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. फेमा. 389/2018- आरबी) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन)(संशोधन) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियम 2 में संशोधन:

मूल विनियमावली में, विनियम 2 में, -

(i) खंड (vii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा -

“(iia) ‘सक्षम प्राधिकारी’ का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके तहत बनाए गए किसी भी प्रत्यायोजित विधान के तहत विलयन या सम्मेलन की योजना को मंजूरी देने के लिए सशक्त हो;”।

3. विनियम 4, 5, 7 और 9 में संशोधन:

मूल विनियमावली में, विनियम 4, 5, 7 और 9 में, जहाँ कहीं भी “एन.सी.एल.टी.” शब्द आता है, उसके स्थान पर “सक्षम प्राधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./142/2026-27]

फुट नोट: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में 20 मार्च 2018 के सा.का.नि. 244(अ) के तहत भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी (23 मार्च 2018 को प्रकाशित)

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 29th May, 2026

Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) (Amendment) Regulations, 2026

No. FEMA 389(1)/2026-RB. —In exercise of the powers conferred by section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following amendment in the **Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) Regulations, 2018** (Notification No. FEMA.389/2018-RB dated March 20, 2018) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to regulation 2:

In the Principal Regulations, in regulation 2, –

- (i) the clause (vii) shall be omitted;
- (ii) after the clause (ii), the following clause shall be inserted, namely –

“(iia) ‘Competent Authority’ means any authority empowered under the Companies Act, 2013 or any subordinate legislation made thereunder to approve a scheme of merger or amalgamation;”.

3. Amendment to regulations 4, 5, 7 and 9:

In the Principal Regulations, in regulations 4, 5, 7 and 9 for the word “NCLT”, wherever it occurs, the words “Competent Authority” shall be substituted.

Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./142/2026-27]

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 244(E) dated March 20, 2018 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) (Published on March 23, 2018)